

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया जयपुर

क्रमांक: एफ 13 ()मुं./अनुप्रति कोचिंग/सान्याअवि/21/पार्ट-1/ 42448

जयपुर, दिनांक: 27/9/2021

आदेश

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने व समान अवसर प्रदान करने के लिए पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं में कोचिंग करने हेतु वर्ष 2021-22 के लिए अभ्यर्थियों/इच्छुक कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24.09.2021 निर्धारित की गई है।

योजनान्तर्गत अभ्यर्थियों/इच्छुक कोचिंग संस्थाओं के ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 24 सितम्बर 2021 से बढ़ाकर दिनांक 15 अक्टूबर 2021 की जाती है।

(ओ.पी.बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ 13 ()मुं./अनुप्रति कोचिंग/सान्याअवि/21/पार्ट-1/ 42449-57
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

जयपुर, दिनांक: 27/9/2021

1. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
2. आयुक्त, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर।
3. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. उपनिदेशक, (प्रचार-प्रसार) को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को समाचार पत्रों में प्रचार-प्रसार करावाया जाना सुनिश्चित करावें।
6. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाया जाना एवं योजनान्तर्गत ऑनलाईन पोर्टल भी अंतिम तिथि बढ़ाये जाने की सलाईट चलवाया जाना सुनिश्चित करावें।
7. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि.....।
8. सम्बन्धित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)